

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

वरतृ ढंतृरलतु के ररतु ढंतृरी, संसदीतु कररु ढंतृरलतु ढें ररतु ढंतृरी तथर जल संसरधन, नदी वरकरस और गंर गरीणुुदुदर ढंतृरलतु ढें ररतु ढंतृरी (शुी संतुुष कुडरर गंगवरर): अधुतुष ढहुदतुतु, सुशुी उडर ढररती की ओर से ढें वरुष 2014-15 के लरए जल संसरधन, नदी वरकरस तथर गंर गरीणुुदुदर ढंतृरलतु के ढररणरढी डरतु की एक ढुरतु (दरनुदी तथर अंगुेकी संसुकरण) सढर ढतुल ढर ररखतर हुं।

(Placed in Library, See No. LT 627/16/14)

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Minority Affairs for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 628/16/14)

(2) Outcome Budget of the Ministry of Minority Affairs for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 629/16/14)

वरतृ ढंतृरलतु के ररतु ढंतृरी, संसदीतु कररु ढंतृरलतु ढें ररतु ढंतृरी तथर जल संसरधन, नदी वरकरस और गंर गरीणुुदुदर ढंतृरलतु ढें ररतु ढंतृरी (शुी संतुुष कुडरर गंगवरर): ढें नरढुनलररखरतु ढतु सढर ढतुल ढर ररखतर हुं -

(1) नरढुनलररखरतु ढतुुु की एक-एक ढुरतु (दरनुदी तथर अंगुेकी संसुकरण)-

(एक) वरुष 2014-15 के लरए वरतृ ढंतृरलतु की अनुदरनुु की वररसुतु ढरंगुे।

(Placed in Library, See No. LT 630/16/14)

(दुु) वरुष 2014-15 के लरए वरतृ ढंतृरलतु कर ढररणरढी डरतु।

(Placed in Library, See No. LT 631/16/14)

(2) सेनुदुल कुुडुतेर इंडसुदुीरु कररुढुरेशुन अुुडु इंडररर लररढरडेड तथर वरतृ ढंतृरलतु के डरतु वरुष 2014-15 के लरए हुए सडरडुुतु डरढुन की एक ढुरतु (दरनुदी तथर अंगुेकी संसुकरण)।

(Placed in Library, See No. LT 632/16/14)

(3) (एक) नेशुनल इंसुतुडुुतु अुुडु डरडुडुुलुुकी, रूडुकी के वरुष 2012-13 के वररररुषर ढुरतुवेदुन की एक ढुरतु (दरनुदी तथर अंगुेकी संसुकरण) तथर तुेखरढररररररर तुेखुे।

(दुु) नेशुनल इंसुतुडुुतु अुुडु डरडुडुुलुुकी, रूडुकी के वरुष 2012-13 के कररुकरण की सरकर डुदरर सडुीकुषर की एक ढुरतु (दरनुदी तथर अंगुेकी संसुकरण)।

(4) उढरुुतु (3) ढें उलुलररखरतु ढतुुु कुु सढर ढतुल ढर ररखने ढें हुए वरलढुड के कररण दशरने वरलर वरवरण (दरनुदी तथर अंगुेकी संसुकरण)।

(Placed in Library, See No. LT 633/16/14)

(5) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैंकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1633(अ) जो 27 जून, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31.01.2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 294(अ) में अतिरिक्त आदेश की वैधता जो 30 जून, 2014 को समाप्त हो रही थी, को उक्त आदेश के अवसान से आगे पांच माह की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा जिसका शुद्धिपत्र जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1890(अ) में (हिन्दी संस्करण में) प्रकाशित हुआ है।

(Placed in Library, See No. LT 634/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Power Finance Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 635/16/14)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 636/16/14)

- (4) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 637/16/14)

- (5) A copy of Notification No. JERC-11/2010 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 8th January, 2014, containing corrigendum to the Notification No. 224 dated 7th August, 2013, issued under Section 182 of the Electricity Act, 2003.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 638/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Railway Welfare Organisation, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Railway Welfare Organisation, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 639/16/14)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)---

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014- 2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 640/16/14)

(दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014- 2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 641/16/14)

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)---

- (1) का.आ. 1306 (अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुपति-आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (2) का.आ. 332 (अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (3) का.आ. 506 (अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (4) का.आ. 1241 (अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुंटुगोलानु-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (5) का.आ. 1239 (अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (6) का.आ. 1283 (अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 (विजयवाड़ा से मछलीपटनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (7) का.आ. 877 (अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (8) का.आ. 2744 (अ) जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तिरुवनंतपुरम सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (9) का.आ. 2140 (अ) जो 11 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विलाकतुरीपेट-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (10) का.आ. 1763 (अ) जो 19 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (वेन्नई-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (11) का.आ. 1303 (अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45न (दिकरावडी-चुंबाकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (12) का.आ.1063 (अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर-मनामदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (13) का.आ.533 (अ) जो 25 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (तिदिवणम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (14) का.आ.1267(अ) जो 13 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर-मनामदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (15) का.आ.1064 (अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर-मनामदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (16) का.आ.1280 (अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में

- पूकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (72) का.आ. 1121 (अ) जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (रीमस से सीकर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उग्रहण के बारे में है।
- (73) का.आ. 1549 (अ) जो 17 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वायटीला-अरूर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उग्रहण के बारे में है।
- (74) का.आ. 2565 (अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (ट्रिची बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (75) का.आ. 2568 (अ) जो 23 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रवंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (76) का.आ. 1368 (अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार (डिडीगुल-वेनी-कुमिल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (77) का.आ. 2382 (अ) जो 6 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रवंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (78) का.आ. 2684 (अ) जो 5 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अतिपल्ली-कृष्णामिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (79) का.आ. 2137 (अ) जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिडीवनम-कृष्णामिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (80) का.आ. 2638 (अ) जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (81) का.आ. 707 (अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (82) का.आ. 1418 (अ) जो 4 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिडीवनम-कृष्णामिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (83) का.आ. 711 (अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (कराईकुडी-रामनाथपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(Placed in Library, See No. LT 642/16/14)

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

- (1) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2014 जो 19 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 99(अ) में पूकाशित हुए थे।
- (2) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 152(अ) में पूकाशित हुए थे।
- (3) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 11 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 277(अ) में पूकाशित हुए थे।
- (4) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2014 जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.

- 287(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) केन्द्रीय मोटर यान (पाँचवां संशोधन) नियम, 2014 जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (6) केन्द्रीय मोटर यान (पाँचवां संशोधन) नियम, 2014 जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 324(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (7) केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2014 जो 19 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 345(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (8) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 364(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (9) केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2014 जो 9 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित अधिसूचनाओं से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 643/16/14)